छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 409/2007</u>

1.	**राष्ट्रीय मिनवुल मजदूर संघ,** **श्रम शिविर, बल्देवबाग,** **राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)** **द्वारा- बलबीर खनूजा,** **प्रबंध समिति सदस्य, रा0मि0म0 संघ,** **गांधी चौक, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **कार्यालय श्रम आयुक्त,** **मीरा दातार रोड़, शंकर नगर,** **रायपुर (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 25 फरवरी, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 16.11.2006 को जन सूचना अधिकारी के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उन्हें उत्तर दिया गया कि कार्यालय भवन बदलने के कारण प्रकरण पत्रिका नही मिल रही है, बाद में उन्होंने दिनांक 19.03.2007 को पुनः पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया था और दिनांक 16.04.2007 को उप श्रमायुक्त से चर्चा की गई, किन्तु वहॉं से भी संतोषप्रद कार्यवाही नही होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 07.05.2007 को यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, शाखा-3, औद्योगिक विभाग को जानकारी देने हेतु सात स्मरण पत्र भेजने के बाद भी जानकारी नही देने के कारण श्री आर0एस0 दुग्गा, उप श्रमायुक्त को पच्चीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 25.07.2007 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील नही करते हुए सीधे द्वितीय अपील करने पर आपत्ति ली है । जहॉं तक अपील के संबंध में प्रस्तुत तर्क का प्रश्न है आयोग के समक्ष द्वितीय अपील के साथ-साथ शिकायत का भी धारा-18 के अन्तर्गत प्रावधान है, अतः इस प्रकरण को अपील के स्थान पर

शिकायत के रूप में मान्य कर कार्यवाही की जाती है । उन्होंने यह भी बताया है कि पंजी उपलब्ध नही होने के कारण ही वांछित जानकारी नही दी जा सकी है और पूर्व उप श्रमायुक्त के सेवानिवृत्त बाद पांच वर्ष पूर्व की जानकारी मिलने में कठिनाई हो रही है तथा अपीलार्थी ने मानवाधिकार आयोग में भी एक प्रकरण चला रखा है और उनकी मंशा केवल आर0आर0सी0 जारी करवाना है तथा आर0आर0सी0 जारी करवाने से पूर्व पक्षकार को समंस भेजने से ही आर0आर0सी0 जारी करवाने का वैधानिक अधिकार नही हो जाता है और आर0आर0सी0 श्रमायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर की विषयवस्तु है, अत: उनके विरूद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जावे । इस संबंध में जन सूचना अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रांरभ की गई है और पुलिस में रिपोर्ट भी आयोग के निर्देशानुसार नस्ती गुमने के संबंध में करा दी गई है । साथ ही अपीलार्थी के स्वत्वों से संबंधित मामला है और नस्ती गुम हुई है और जिस भी स्त्रोतों से नस्ती से संबंधित कागजात प्राप्त किये जा सकते है प्राप्त कर नस्ती का निर्माण कर आगे कार्यवाही की जा सकती है और जन सूचना अधिकारी द्वारा बार-बार दिये गये स्मरण पत्रों के बावजूद कार्यवाही नही किया जाना और जानकारी देने में विलंब किया जाना किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है, अत: अधिनियम की धारा-20(1) के अन्तर्गत श्री आर0सी0 दुग्गा, उप श्रमायुक्त के विरूद्ध प्रकरण में किये गये विलंब के लिए थोड़ा उदार रूख अपनाते हुए एक हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही अब श्रमायुक्त को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को समक्ष में बुलवाकर संबंधित मामले में कागजातों को बुलवाकर और आवश्यक हो तो नस्ती का पुनर्निर्माण कर आर0आर0सी0 के संबंध में जो भी कार्यवाही नियमानुसार वांछनीय हो, वह एक माह में पूर्ण करे और आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजे । साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को राशि 1000/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते है ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त